UPJL010011682026

Presented on : 24-02-2026
Registered on : 24-02-2026
Decided on : 19-03-2026
Duration : 0 years, 0 months, 23 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge D.A.A
AT ,Jalaun
(Presided Over by Dr. Avanish Kumar-II)

Criminal Misc. Cases/3000034/2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.), जालौन स्थान उरई।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–34/2026

रमाकान्त, पुत्र श्यामलाल, निवासी ग्राम चावनपुरा, थाना एट, जिला जालौन। .....आवेदक

बनाम

1. अरविन्द कुमार, पुत्र वीरेन्द्र सिंह, निवासी कस्बा व थाना एट, जिला जालौन।
2. लल्लूराम वर्मा, पुत्र हरीलाल वर्मा, निवासी ग्राम धगुंवा कला, हाल निवासी बस स्टैण्ड के पास कस्बा व थाना एट, जिला जालौन।
3. संजय तिवारी, पुत्र श्री कामता तिवारी, निवासी ग्राम बिलायां थाना एट, जिला जालौन। .....विपक्षीगण

दिनांक–19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक रमाकान्त द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया है कि प्रार्थी ने एक आवासीय प्लाट स्थित मौजा एट को उसके स्वामी अरविन्द कुमार, पुत्र वीरेन्द्र सिंह, निवासी कस्बा व थाना एट, जिला जालौन से जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 17.02.2005 को क्रय कर कब्जा दखल प्राप्त किया था। प्रार्थी व्यापारी है और काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है, जिसके कारण वह अपने उपरोक्त प्लाट की देखभाल करने नहीं जा सका। इसी बीच प्लाट के पूर्व स्वामी अरविन्द कुमार ने कूटरचना व धोखाधड़ी कर प्रार्थी के द्वारा क्रय किये गये उसी प्लाट का बैनामा दिनांक 12.08.2005 को लल्लूराम वर्मा, पुत्र हरीलाल वर्मा, नि.ग्रा. धगुंवा कला, हाल निवासी बस स्टैण्ड के पास कस्बा व थाना एट, जिला जालौन के पक्ष में कर दिया, जबकि उपरोक्त दोनो लोगों को यह भलीभांति जानकारी थी कि उक्त प्लाट का मालिक व स्वामी प्रार्थी है, इसी बीच लल्लूराम वर्मा ने अपने साथी संजय तिवारी, पुत्र कामता तिवारी, नि.ग्रा. बिलायां के सहयोग से प्रार्थी के उक्त प्लाट पर आंशिक निर्माण करवा लिया, जब प्रार्थी को इस बात की जानकारी हुई, तो प्रार्थी ने पता किया तो ज्ञात हुआ कि अरविन्द कुमार ने प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करते हुये उक्त प्लाट लल्लूराम वर्मा को विक्रय कर दिया है, तब प्रार्थी ने उक्त अरविन्द कुमार से जाकर इस बावत कहा, तो वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारा रूपया हड़पना था, इसलिये

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.03.19 14:14:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मैने तुम्हारा प्लाट लल्लूराम को बेच दिया, तब विवश होकर प्रार्थी ने न्यायालय में बैनामा निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। दिनांक 05.02.2026 को प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के प्लाट पर उक्त लोगों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस पर प्रार्थी समय करीब 4 बजे शाम महेन्द्र, पुत्र रामप्रताप, नि.ग्रा. नरी, एवं इरशाद, पुत्र मुनीरबख्स, नि.कस्बा एट, थाना एट, जिला जालौन के साथ अपने प्लाट पर पहुंचा, तो देखा कि वहां पर अरविन्द कुमार, लल्लूराम वर्मा व संजय तिवारी प्लाट पर बिल्डिंग मैटेरियल डलवा रहे थे, जब प्रार्थी ने उक्त लोगों से कहा कि यह प्लाट मेरा है और इसके बावत न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है आप लोग निर्माण न करे इस पर उपरोक्त अरविन्द कुमार, लल्लूराम वर्मा व संजय तिवारी प्रार्थी को मां बहिन की भददी भददी गालियां देते हुये कहने लगे कि हम लोग किसी न्यायालय के आदेश को नहीं मानते है, अब तुम अपने प्लाट को भूल जाओ और अपने रूपये भी भूल जाओ, जब प्रार्थी ने गालियां देने का विरोध किया, तो उपरोक्त तीनों लोग एक राय होकर प्रार्थी को लात घूसों से मारने पीटने लगे तथा अरविन्द कुमार ने प्रार्थी के गले में पड़ी दो तोला सोने की जंजीर लूट ली एवं लल्लूराम वर्मा व संजय तिवारी ने प्रार्थी की जेब में पड़े 20 हजार रूपये जबरन लूट लिये, मौके पर प्रार्थी के साथ गये लोगों ने प्रार्थी को बचाया, तो उक्त लोगों ने धमकी दी कि अगर प्लाट के सम्बन्ध में या इस घटना के सम्बन्ध में कहीं शिकायत की तो अभी तो तुम्हारा प्लाट हड़पा है, आयन्दा जान से मार देगें। प्रार्थी किसी प्रकार वहां से बचकर निकला और घटना की रिपोर्ट करने कोतवाली उरई गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, तब प्रार्थी ने दिनांक 07.02.2026 को पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन न तो प्रार्थी की रिपोर्ट लिखी गयी और न कोई कार्यवाही हुई। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष एट को निर्देशित करने की कृपा करें।

अभिलेखीय साक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति दो किता बैनामा दिनांकित 24.01.2026 की छायाप्रति प्रस्तुत की है, मूल रजिस्ट्री डाक रसीद व स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना एट, जिला जालौन द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार आवेदक तथा विपक्षीगण अरविन्द कुमार, पुत्र वीरेन्द्र सिंह, नि. कस्बा व थाना एट, जिला जालौन उरोक्त के मध्य जमीन को लेकर विवाद है। जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि दोनों पक्ष अपनी–अपनी शिकायत लेकर थाने पर आये थे। दोनों पक्षों के प्रार्थनापत्र की जांच की गयी थी। मामला राजस्व से संबंधित था, दोनों पक्षों को हिदायत दी गयी थी कि श्रीमान उपजिलाधिकारी के समक्ष पेश हो। श्रीमान जी उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य दीवानी वाद लम्बित होने का कथन किया गया है। साथ ही थाने की आख्या में भी पक्षकारों के मध्य के विवाद को राजस्व न्यायालय से संबंधित होना कहा गया है। प्रार्थनापत्र में कथित जंजीर व बीस हजार रूपये लूटे जाने की घटना से संबंधित सभी तथ्य प्रार्थी के स्वयं के संज्ञान में हैं, जिन्हें वह अपने साक्ष्य के माध्यम से स्वतः सिद्ध करने में सक्षम है। अतः प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था प्रियंका श्रीवास्तव प्रति उ.प्र. राज्य, ए.आई.आर. 2015, सुप्रीम कोर्ट 1758 एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था रामबाबू गुप्ता बनाम उ.प्र. राज्य

एवं अन्य, 2001(43) ए.सी.सी. 201 तथा निर्णयज विधि सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य, 2007(59) ए.सी.सी.739 में प्रदत्त विधि के प्रकाश में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी रमाकान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस., परिवाद के रूप में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 03.04.2026 को पेश हो।

दिनांक–19.03.2026

(डॉ. अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.),
जालौन स्थान उरई।